(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. पाटीदार, सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 मई 2004

क्र. नि-3-92-2001-10-1.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 197 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, यह निर्देश देती है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंध मध्यप्रदेश, वन विभाग के उन वनरक्षकों, वनपालों और उप वनक्षेत्रपालों को लागू होंगे, जो वन संरक्षण के संबंध में लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये वन मण्डलों (फॉरेस्ट डिवीजन) में पदस्थ हैं.

No. 3-92-2001-X-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) the State Government hereby directs that the provisions of sub-section (2) of the said Section shall apply to the Forest Guards Foresters and Deputy Rangers fo the Madhya Pradesh Forest Department who are posted in the Forest Divisions for Maintenance of Public Order relating to forest protection.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. ठाकरे, उपसचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 जून 2004

क्र. एफ 1-8-03-तेईस-आसां.—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिनांक 28 मई 2004 को की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती मृणालनी शर्मा, सहायक संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल को स्थानापन्न रूप से उप संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200 में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत पश्चात् पदस्थ किया जाता है.

(2) उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत दो वर्षों की परीक्षण अवधि के लिये होगी.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में की गई हैं.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि "मध्यप्रदेश लोक सेवा" (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

क्र. एफ 1-8-03-तेईस-आसां.—विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिनांक 28 मई 2004 को की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ए. के. बोराड़े, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, झाबुआ को स्थानापन्न रूप से जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रभारी जिला योजना अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, मंदसौर के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत कर पदस्थ किया जाता है.

(2) उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत दो वर्षो की परीक्षण अवधि के लिये होगी.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में की गई हैं.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि "मध्यप्रदेश लोक सेवा" (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. राय, सचिव.